

प्रारूप -48,

(भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य अनुबन्ध की प्रति)

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डीयालधार पाडण्व मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता अस्थाई 0 खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है। के बीच आज वर्ष 2015 के फरवरी महीने की 23 तारीख को निष्पादित किया गया है।

1- यह सहमति हो गयी है, कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2- यह सहमति हो गयी है, कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।

3- यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

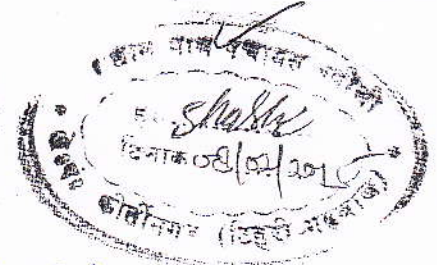
इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लेखित तारीख माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

नाम भूमिधर

नाम:-

हस्ताक्षर

राजस्व उपनिरीक्षक



कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर राजसिंह
क्षेत्र पंचायत सदस्य
देवगढ़ी पट्टी खोस्तु
निकास खण्ड कीर्तिनगर टि० न०

शं. 0000000000
जिला पंचायत सदस्य
चिलेडी - 34
बडियारगढ़ (टि० न०)

कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

वकील
अ. मा. वि.
अ. मा. वि.
अ. मा. वि.

हो 0000000000
हो 0000000000
हो 0000000000
हो 0000000000
हो 0000000000

पत्र पत्र
हो 0000000000
हो 0000000000
हो 0000000000
हो 0000000000

अ. मा. वि.
अ. मा. वि.
अ. मा. वि.
अ. मा. वि.

अ. मा. वि.
अ. मा. वि.
अ. मा. वि.
अ. मा. वि.